

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं० 2850  
16 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए  
jksfg.kh vkoklh; ;kstuk

2850- MkWñ mfnr jkt%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fnYyh fodkl izkfèkdj.k ¼MhMh,½ us 1981 esa r; njksa ij jksfg.kh ;kstuk ds iathd`rksa dks IHkh Hkw[kaMksa dk vc rd vkoaVu dj fn;k gS] ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa( vkSj

¼k½ D;k vkosnuksa dks Lohdkj djrs le; IHkh vkosndksa@iathd`rksa dks r; vuqlkj Hkwfe@Hkw[kaM dh nj leku ugha gS] ;fn gka] rks ;kstuk iathd`rksa dks vc rd fdl nj ij o"kZ&okj Hkw[kaM vkoaVr fd, x, gSa\

**उत्तर**

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि इसने रोहिणी आवासीय योजना के पंजीकर्ताओं को पूर्व निर्धारित दरों पर प्लॉट आबंटित कर दिए हैं। यह दर विभिन्न अंतरालों तथा विकास लागत की वृद्धि में बदलती दरों पर भूमि अर्जन के कारण वर्ष दर वर्ष भिन्न होती है।

(ख): दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय योजना की विवरणिका में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि इसमें दी गई दरें समय-समय पर संशोधन की शर्तों के अधीन होंगी। आबंटितियों से ली गई दरें 1981-82 और 2014-15 के बीच जनता फ्लैट के मामले में 100 ₹ से 11077 रुपए प्रति वर्ग मीटर, एलआईजी के लिए 125 ₹ से 14120 ₹ तथा एमआईजी के लिए 200/-₹ से 23252/-₹ प्रति वर्ग मीटर तक हो गई हैं।

\*\*\*\*\*